

1435
315

नीलामी सूचना

ADD-तकनीकी 28

अभिसूचना मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

1-गोखले मार्ग लखनऊ

पत्रसंख्या:क्यू/एमटी-3(वाहन नीलामी)/2019-20

दिनांक:लखनऊ:अप्रैल 29, 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी

लखनऊ उ0प्र0

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अभिसूचना विभाग की निष्प्रयोज्य घोषित 01 मारुती स्टीम, 08 मो0सा0, की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 10-05-2021 को समय 11.00 बजे अभिसूचना मुख्यालय 1-गोखले मार्ग, लखनऊ में होगी। नीलामी के वाहनों का विवरण एवं मुख्य शर्तें निम्नवत है

क्र0सं0	वाहन संख्या	मेक	माडल	अन्य विवरण
1	यूपी32बीजी-1792	मारुति स्टीम	2007	---
2	यूपी32बीजी-1793	मारुति स्टीम	2007	---
3	यूपी32बीजी-1319	मारुति जिप्सी	2006	---
4	यूपी32बीजी-1852	महिन्द्रा बोलेरो	2007	---
5	यूपी32बीजी-1854	महिन्द्रा बोलेरो	2007	---
6	यूपी41 जी-0418	महिन्द्रा बोलेरो	2010	---
7	यूपी11एजी-0086	पल्सर मो0सा0	2007	---
8	यूपी11एजी-0093	एचीवर मो0सा0	2007	---
9	यूपी15एजी-0173	पल्सर मो0सा0	2006	---
10	यूपी15एजी-0141	एचीवर मो0सा0	2007	---
11	यूपी15एजी-0156	अपाचे मो0सा0	2006	---
12	यूपी14एजी-0268	पल्सर मो0सा0	2006	---
13	यूपी12एजी-0101	एचीवर मो0सा0	2008	---
14	यूपी12एजी-0102	एचीवर मो0सा0	2008	---

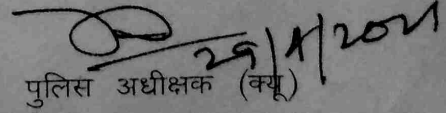
नीलामी की मुख्य शर्तें निम्नवत है:-

1. नीलामी दिनांक 10-05-2021 को समय 11.00 बजे से की जायेगी ।
2. नीलामी में बोली लगाने का अधिकार उसी व्यक्ति का होगा, जो नीलामी की तिथि 10-05-2021 को समय 10.00 बजे से 12.00 बजे तक रु. 20,000.00 (बीस हजार) जमा कर टोकन प्राप्त कर लेगा ।
3. नीलामी "जैसे है जहाँ है" के आधार पर होगी ।
4. अन्तिम अधिकतम बोली जिस विडर के पक्ष में स्वीकार की जायेगी, उसे अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत तुरन्त नकद जमा करना होगा ।
5. उसी दिन बिडर द्वारा पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त गाड़ी को अपने संरक्षण में लेना होगा ।
6. कय किए गये वाहन को बिडर द्वारा 02 दिवस के अन्दर उठाना होगा, वाहन को सौंपे जाने के बाद विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
7. यदि कोई विडर बोली स्वीकार ने के उपरान्त 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा की गई टोकन मनी की धनराशि रु. 20,000.00 जप्त कर ली जायेगी ।
8. किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा ।
9. अन्तिम बोली जिस बिडर की स्वीकार की जायेगी उसे अधिकतम धनराशि के अतिरिक्त नियमानुसार सेलटैक्स/विकास शुल्क(जीएसटी) जमा करना होगा ।
10. विडर द्वारा कय किए गये वाहन को यदि 02 दिवस के अन्दर नहीं उठाया जाता है, तो रु.200.00 प्रति वाहन की दर से प्रतिदिन का अतिरिक्त भुगतान करना होगा ।

अतः उपरोक्तानुसार इस पत्र की 11 प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसका प्रचार-प्रसार स्थानीय स्तर पर कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक:- यथोपरि

web site



पुलिस अधीक्षक (क्यू)

अभिसूचना मुख्यालय, उ.प्र.

लखनऊ ।



2021-5-4 11:03